राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

–विज्ञप्ति–

राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक/शारीरिक शिक्षक/वरिष्ठ सहायक एवं छात्रावास अधीक्षको के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा प्रदेश के 17 जिलों में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन बौद्ध एवं पारसी) के बालक–बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करा कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने के लिये जवाहर नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर "राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय" संचालित किये जा रहे है।

इन आवासीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक/शारीरिक शिक्षके/वरिष्ठ सहायक एवं छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु चयन करने के लिए राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक/शारीरिक शिक्षक/वरिष्ठ सहायक एवं छात्रावास अधीक्षको से निम्न प्रकार आवेदन आमंत्रित किये जाते है :– **आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023**

रिक्त पदो की योग्यता, संख्या एवं स्थान आदि का विवरण

क्र0 सं0	पद	पद हेतु योग्यता	कुल रिक्तियों की संख्या	रिक्तियों के स्थान राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय
01	प्रधानाचार्य	सेवारत प्रधानाचार्य एवं समकक्ष (L-16) जो राज्य के किसी भी जिले में पदस्थापित हो।	16	1.मसूंदा–अजमेर, 2. रामगढ–अलवर, 3. तिजारा–अलवर (बालिका) 4. बुरहान का तला–बाडमेर (बालिका) 5. अभे का पार–बाडमेर (बालिका) 6. चुरू शहर 7. नन्देरा–भरतपुर (बालिका) 8. कचननेर–भरतपुर (बालिका) 9. भणियाना–जैसलमेर 10 कुछडी सम–जैसलमेर 11.घडसाना–श्रीगंगानगर 12. नागौर–शहर 13. फतेहपुर–सीकर 14. सीकर–शहर (बालिका) 15. सवाईमाधोपुर–शहर 16.उदयपुर–शहर (बालिका)
03	वरिष्ठ अध्यापक (विषय अध्यापक)	1. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत (L-11) 2. जिस संभाग के आवासीय विद्यालय में आवेदन कर रहा है उसी संभाग में पदस्थापित हो।	52	
04	शारीरिक शिक्षक ग्रेड सैकण्ड	1. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक (L-11) 2. जिस संभाग के आवासीय विद्यालय में आवेदन कर रहा है उसी संभाग में पदस्थापित हो।	16	
02	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	1. वरिष्ठ अध्यापक (L-11) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका अथवा माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत। 2. जिस संभाग के आवासीय विद्यालय में आवेदन कर रहा है उसी संभाग में पदस्थापित हो।	15	1. सरवाड–अजमेर (बालिका) 2. रामगढ–अलवर (बालिका) 3. जैतडासर–जोधपुर 4. जोधपुर–शहर 5. रमजान की गफन–बाडमेर (बालिका) 6. सेडवा–बाडमेर (बालिका) 7. कामां–भरतपुर 8. नगर–भरतपुर (बालिका) 9. पहाडी (कामा)–भरतपुर 10. नाचना–जैसलमेर 11. झुन्झुनु–शहर 12. सीकर–शहर 13. कोटा–शहर 14. बीकानेर–शहर 15. टोंक–शहर

05	अध्यापक लेवल–2	1. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग मे संबंधित विषय के विषय अध्यापक लेवल–2 के रूप में कार्यरत (L-10) 2. जिस जिलें के आवासीय विद्यालय में आवेदन कर रहा है उसी जिलें में पदस्थापित हो।	112	1. मसूंदा–अजमेर, 2. रामगढ–अलवर, 3. तिजारा–अलवर (बालिका) 4. बुरहान का तला–बाडमेर (बालिका) 5. अभे का पार–बाडमेर (बालिका) 6. चुरू शहर 7. नन्देरा–भरतपुर (बालिका) 8. कचननेर–भरतपुर (बालिका) 9.भणियाना–जैसलमेर 10 कुछडी सम–जैसलमेर 11.घडसाना–श्रीगंगानगर 12.नागौर–शहर 13. फतेहपुर–सीकर 14. सीकर–शहर (बालिका) 15. सवाईमाधोपुर–शहर 16. उदयपुर–शहर (बालिका) 17. सरवाड–अजमेर (बालिका) 18. रामगढ–अलवर (बालिका) 19. जैतडासर–जोधपुर 20. जोधपुर–शहर 21. रमजान की गफन–बाडमेर (बालिका) 22. सेडवा–बाडमेर (बालिका) 23. कामां–भरतपुर 24. नगर–भरतपुर (बालिका) 25. पहाडी (कामा)–भरतपुर 26..नाचना–जैसलमेर 27. झुन्झुनु–शहर 28. सीकर–शहर 29. कोटा–शहर 30. बीकानेर–शहर 31. टोंक–शहर 32. जयपुर–शहर
06	वरिष्ठ सहायक	1. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत वरिष्ठ सहायक (L-8) 2. जिस संभाग के आवासीय विद्यालय में आवेदन कर रहा है उसी संभाग में पदस्थापित हो।	25	
07	छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	1. राजकीय विभागों में छात्रावास अधीक्षक के समान पद पर कार्यरत अथवा 2. प्रारभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत लेवल–1 व लेवल–2 अध्यापक के रूप में कार्यरत। 3. जिस जिलें के आवासीय विद्यालय में आवेदन कर रहा है उसी जिलें में पदस्थापित हो।	32	
08	प्रधानाध्यापक (व्याख्याता अग्रेजी)	माध्यमिक शिक्षा विभाग में अंग्रेजी के व्याख्याता के पद पर कार्यरत।	01	आवसीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम जयपुर हेतु।
09	अध्यापक लेवल–2 (06 पद) एवं अध्यापक लेवल–1 (03 पद)	1. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग मे संबंधित विषय के विषय अध्यापक लेवल–2 एवं लेवल–1 के रूप में कार्यरत (L-10) 2. जिस जिलें के आवासीय विद्यालय में आवेदन कर रहा है उसी जिलें में पदस्थापित हो। 3. अंग्रेजी माध्यम में पढाने की दक्षता। अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किये हुऐ को प्राथमिकता।	09	

1. उक्त पदो हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट **http://minority.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर सकते है। **अथवा** निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर से अथवा संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
2. आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर अपने हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साईज का फोटो चिपका कर मय आवश्यक दस्तावेज सहित निदेशालय की ई–मेल आई.डी. dirminority@gmail.com अथवा संबंधित जिले की ई–मेल आई.डी. (वेबसाईट पर देखे) अथवा निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल, जयपुर में डाक द्वारा निर्धारित तिथि तक भेज सकते है अथवा निदेशालय या संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में अंतिम तिथि तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा करा सकते है।
3. **परिवीक्षा काल में चल रहे कार्मिक आवेदन के पात्र नही होगे। जिस विद्यालय में केवल एक ही अध्यापक कार्यरत है उन्हें प्रतिनियुक्त नही किया जायेंगा।**
4. बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए केवल महिला शिक्षक का ही चयन किया जाऐगा। परन्तु महिला शिक्षक उपलब्ध नही होने पर अपरिहार्य स्थिति में ही प्रथमतः प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ सहायक के पद पर चयन हेतु विचार किया जा सकेगा। कतिपय जिले जहां महिला शिक्षक की उपलब्धता शून्य होगी वहां पुरूष शिक्षक के आवेदन पर भी विचार किया जा सकेगा। अतः बालिका आवासीय विद्यालय हेतु पुरूष भी आवेदन कर सकते है।
5. **उक्त पदो हेतु चयन के नियम, शर्ते, प्रकिया एवं विद्यालयवार, पदवार एवं विषयवार रिक्तियों का विवरण विभाग की वेबसाईट http://minority.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।**

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु नियम, शर्तें एवं प्रकिया

शिक्षा ग्रुप–2 विभाग के परीपत्र क्रमांक 19(12)शिक्षा–2 /2016 /07.10.22 के द्वारा शिक्षा विभाग से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने के लिए निर्धारित की गई नीति व इस विभाग की आवश्यकता व मापदण्डों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने संबंधी नियम,शर्ते एवं प्रकिया आदि का विवरण निम्नानुसार है :–

1. अध्यापक लेवल प्रथम/द्वित्तीय की प्रतिनियुक्ति उसी जिले में, इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक, लाईब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक आदि की प्रतिनियुक्ति भी उनके जिले में तथा वरिष्ठ अध्यापक की प्रतिनियुक्ति उसी संभाग के जिलों में हो सकेगी।
2. जो संवर्ग राज्य स्तर (व्याख्याता, उपप्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य) के है उनकी प्रतिनियुक्ति राज्य में कही पर भी की जा सकेगी।
3. अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको/पीटीआई /लाईब्रेरियन आदि किसी की भी प्रतिबधित जिले से गैर प्रतिबधित जिलों में प्रतिनियुक्ति नही की जा सकेगी।
4. परिवीक्षाकाल के दौरान प्रतिनियुक्ति पर पूर्णत प्रतिबंन्ध रहेगा, अर्थात परीवीक्षाकालीन अध्यापक/कार्मिक प्रतिनियुक्ति हेतु अपात्र होंगे।
5. प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापक समकक्ष पद के कार्मिको का विगत पांच वर्षो में से किसी एक वर्ष में भी परीक्षा परिणाम न्यून रहा तो प्रतिनियुक्ति नही की जा सकेगी।
6. प्रतिनियुक्ति हेतु चयन शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव, पुरस्कार एवं परीक्षा परीणाम के आधार पर निम्न प्रकार अंक निर्धारित कर वरीयता अनुसार किया जायेगा। समान अंक होने की स्थिति में 100 प्रतिशत परीक्षा परीणाम वाले और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात भी समान अंक होने की स्थिति में विभाग के स्तर पर उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा।

वरीयता हेतु अंक निर्धारण

क्र. सं.	शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि	निर्धारित किये गये अंक		
		प्रथम श्रेणी	द्वित्तीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
01	सैकण्डरी/समकक्ष	3	2	1
02	हायर/सीनियर सैकण्डरी	3	2	1
03	स्नातक	3	2	1
04	अधि स्नातक	3	2	1
05	बी.एड	3	2	1
06	पुरस्कार	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	जिला स्तर
		3	2	1
07	आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अनुभव	3 वर्ष या अधिक	2 वर्ष या अधिक	1 वर्ष यां अधिक
		3	2	1

08	परीक्षा परिणाम	शिक्षक को आवंटित कक्षावार विषयों का समेकित परीक्षा परीणाम सीनियर सैकण्डरी बोर्ड/ सैकण्डरी बोर्ड/मिडिल बोर्ड, परीक्षा में गत तीन वर्षो (21,22,23) मे से कम से कम 02 वर्षो में 100 प्रतिशत रहने की स्थिति में अधिकतम अंक	
		2	
09	वर्तमान में धारित पद पर सेवा काल अनुभव	05 वर्ष से अधिक	05 वर्ष से कम
		2	1

7. अभ्यर्थी आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट http://minority.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। अथवा निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर से अथवा संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

8._आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर हाल ही में खींचा गया अपने पासपोर्ट साईज का फोटो चिपका कर मय आवश्यक दस्तावेज सहित निदेशालय की ई–मेल आई.डी. dirminority@gmail.com अथवा संबंधित जिले की ई–मेल आई.डी. (संलग्ल है) अथवा निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल, जयपुर में डाक द्वारा निर्धारित तिथि तक भेज सकते है अथवा निदेशालय, जयपुर या संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक जमा करा सकते है।

9. अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ 1. सैकण्डरी 2. सीनियर सैकण्डरी 3. स्नातक 4. अधि स्नातक 5. बीएड 6. पुरस्कार प्रमाण पत्र 7. आवासीय विद्यालय में कार्य करने के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र 8. संस्था प्रधान/सक्षम अधिकारी 100 प्रतिशत परीक्षा परीणाम रहने का प्रमाण पत्र 9. विगत 05 वर्षो में से किसी एक वर्ष में भी न्यून परीक्षा परीणाम नही रहने का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज संलग्न करेगें।

10. आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत,शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के अंको के आधार पर अभ्यर्थी का चयन प्रस्तावित किया जायेगा।

11._अभ्यर्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित/लम्बित नहीं होनी चाहिए।

12._राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक–शिक्षिकाऐं आवेदन के लिए पात्र नहीं है।

13._आवेदन पत्र में अथवा संलग्न दस्तावेजों में सें किसी भी दस्तावेज में किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का चयन किसी भी समय निरस्त कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ।

14._किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र में होगा ।

15. निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर के पास रिक्त पदों की संख्या में कमी/वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

16. विभाग में पदस्थापना अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति नियमों के अनुसार ही होगी। प्रारम्भिक तौर पर पदस्थापन अवधि एक वर्ष के लिए की जायेगी, जिससे सतोषजनक सेवा की स्थिति में अधिकतम चार वर्ष के लिए आगे बढाया जा सकेगा। पदस्थापन अवधि को बढाना या कम करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। रिक्त पदो पर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के संबंध में अभ्यर्थी किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का हकदार नही होगा।

17. किसी कार्मिक की सेवा संतोषप्रद नही होने अथवा अन्य कारणों से दोषी पाये जाने पर किसी भी समय प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसके तहत न्यूनतम या अधिकतम पदस्थापन अवधि का नियम स्वतः शून्य माना जायेगा। पद समाप्त होने पर भी प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

18. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षक–शिक्षिकाओं को निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर द्वारा पारित समस्त निर्देशों एवं अपेक्षित समस्त दायित्व का निर्वहन करना होगा।

19. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षक–शिक्षिकाओं जो आवासीय सेवाएं दे रहे हैं, को विद्यालय पंचाग अथवा विभाग के निर्देशानुसार दीर्घकालीन अवकाश (ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं मध्यावधि अवकाश) देय होगें।

20. प्रतिनियुक्त शिक्षक–शिक्षिका एक माह में रविवार सहित अधिकतम दो दिवस के राजपत्रित अवकाश का उपभोग कर सकेगें। इस अवकाश उपभोग की पूर्व शर्त होगी कि वार्डन एवं सह–वार्डन एवं विद्यालयों मे समस्त शिक्षक–शिक्षिका एक साथ अवकाश नहीं ले सकेगी।

21. जिन विद्यालयों में एक ही अध्यापक कार्यरत है वहां से चयन नही किया जायेगा।

22. वार्डन के पद पर तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–1, लेवल–2 के आवेदन पर भी विचार किया जा सकेगा।

23. आवासीय विद्यालयों में चयनित कार्मिको को जहां आवास उपलब्ध है वहां निवास करना अनिवार्य होगा परन्तु उपलब्ध आवास की सीमा में कतिपय शिक्षको से बारी–बारी रहना होगा।

24. आवेदन पत्र के साथ गत तीन वर्ष का परीक्षा परिणाम का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से प्रमाण्ति कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

25. बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला शिक्षक/कार्मिक लियें जायेगे परन्तु बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षक/कार्मिक उपलब्ध नही होने की स्थिति में पुरूष शिक्षक/कार्मिक भी लियें जा सकेगें, जिसका निर्णय विद्यालय की स्थिति उपयुक्ता, एवं आवश्यकता आदि पहलुओं पर निदेशालय द्वारा One to One समुचित विचार करने के उपरान्त ही लिया जा सकेगा। बालिका विद्यालय में वार्डन के पद पर केवल महिला ही ली जायेगी। अतः बालिका विद्यालय हेतु पुरूष शिक्षक/कार्मिक भी आवेदन कर सकते है।

26. अति आवश्यक होने पर गुणा व गुण के आधार Case to Case Basis पर राज्य सरकार द्वारा उक्त शर्तों में शिथिलन दिया जा सकेगा।

27. राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षक–शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार अल्पसंख्यक मामलात विभाग का होगा।

28. शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने के पश्चात अधिकतम 15 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थल पर कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

29. शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने एवं माध्यमिक/प्रारंम्भिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति आदेश जारी होने के बाद ही रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जा सकेगा।

30. प्रतिनियुक्ति कार्मिक का अधिकार नही है, यह विभाग की आवश्यकता तथा विवेक एवं हित पर आधारित है।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0
dirminority@gmail.com दूरभाष न.: 0141–2711938, 2711978

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 2023–24

(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित आवासीय विद्यालय का नाम...

प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित पद...

विषय..

पासपोर्ट साईज हस्ताक्षरित नवीनतम फोटो

1. कार्मिक का नाम...
2. पिता/पति का नाम..
3. वर्तमान में धारित पद...
   (यदि धारित पद मूल पद से भिन्न हो तो उसका भी अंकन आवश्यक रूप से किया जायें)
   (अ) धारित पद.......................... (ब) मूल पद...
4. वर्तमान में धारित पद का कार्यग्रहण दिनांक...
5. जन्म तिथि..
6. गृह जिला..
7. एम्पलॉय आई.डी. ....
8. मोबाईल नम्बर, (वाटसेप सहित)...
9. ई–मेल आई.डी...
10. पे लेवल.. वर्तमान में बेसिक–पे.......................................
11. आवेदक का वर्तमान पता...
12. शिक्षा निदेशालय का नाम यथा– माध्यमिक/प्रारंभिक...
13. राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक...
14. सेवानिवृत तिथि..
15. दिनांक 01.07.2023 को आयु..
16. शैक्षणिक योग्यता

क्र.सं	परीक्षा का नाम	विषय	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी	संलग्नक संख्या
1	सैकेण्डरी/समकक्ष				
2	हायर/सीनियर सैकेण्डरी				
3	स्नातक				
4	अधिस्नातक				

17. प्रशैक्षणिक योग्यता :–

क्र.सं	परीक्षा का नाम	प्राप्तांको का प्रतिशत		श्रेणी	संलग्नक संख्या
		सैद्धान्तिक	प्रायोगिक		
1	बी.एड. (शिक्षा में स्नातक)				
2	एम.एड				

नोट :– उक्त योग्यता की अंकतालिका/प्रमाण पत्र संलग्न करें।

18. सेवानियमों का नाम, जिनके अन्तर्गत वर्तमान में आप नियुक्त है: ....

19. सेवा संबंधी विवरण (सम्पूर्ण सेवाकाल का प्रथम तिथि से अब तक)

क्र.सं	पद	वेतन श्रृंखला	पदस्थापित स्थान	ग्रामीण / शहरी	अवधि	
					कब से	कब तक

20. कुल सेवा काल :– वर्ष..................माह.......................दिन...................... वांछित पद पर दिनांक 30.06.2023 तक

वर्तमान पद कार्यरत रहने की अवधि :–वर्ष..........................माह........................दिन..........................

21. पदस्थापन हेतु आवेदित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त इच्छित अन्य दो राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय............................

प्राथमिकता के आधार पर : 1... 2.....................................

22. पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर, ☐ राज्य स्तर ☐ जिला स्तर ☐ टिंक करें। (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे)..

23. गत तीन वर्षो का परीक्षा परीणाम

क्र.सं.	बोर्ड परीक्षा	परिणाम (प्रतिशत में)		
		2020–21	2021–22	2022–23
	सी. सै. बोर्ड			
	सैकण्डरी बोर्ड			
	मिडिल बोर्ड			

24. आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अनुभव

आवासीय विद्यालय का नाम	पद	कब से कब तक

नोट :–प्रमाण पत्र संलग्न करें।

सत्यापन

- मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है। मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है। यदि कोई तथ्य गलत पाया गया तो मै प्रतिनियुक्ति का अधिकारी नही रहूंगा।
- प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापक समकक्ष पद पर मेरा विगत पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष में भी परीक्षा परिणाम न्यून नही रहा।
- मेरी सेवा अवधि में मुझे अब तक राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत किसी प्रकार के दण्डित नहीं किया गया है तथा न ही मेरे विरूद्ध उक्त नियमों के तहत किसी प्रकार की जांच लम्बित है।
- मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ वांछित सभी दस्तावेज संलग्न कर दिये गये है।

हस्ताक्षर

नाम :– ....

दिनांक :–

पद :–...................................

पदस्थापित स्थान :–......................

राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	जिला	आवासीय विद्यालय का नाम	रिक्त पद का नाम	विषय	पदों की संख्या
1	अजमेर	मसूदा (बालक)	प्रधानाचार्य	—	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	सा. विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	—	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
		सरवाड़ (बालिका)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	—	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	—	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
2	अलवर	रामगढ (बालक)	प्रधानाचार्य		1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	—	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित/विज्ञान	1
			वरिष्ठ सहायक	—	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
		तिजारा (बालिका)	प्रधानाचार्य		1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	—	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1

			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
		रामगढ (बालिका)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
3	बाडमेर	बुरहान का तला (बालिका)	प्रधानाचार्य	–	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	अंग्रेजी	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित/विज्ञान	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
		अभे का पार (बालिका)	प्रधानाचार्य	–	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	अंग्रेजी	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	सा. विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित/विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
		रमजान की गफन (बालिका)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1

			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	—	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
		सेड़वा (बालिका)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	—	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	—	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
4	भरतपुर	नन्देरा (बालिका)	प्रधानाचार्य	—	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	अंग्रेजी	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	सा. विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–।।	—	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित/विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
		कन्चननेर (बालिका)	प्रधानाचार्य	—	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	अंग्रेजी	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	सा. विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–।।	—	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित/विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	—	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1

		नगर (बालिका)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	—	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	—	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
		कामां (बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	—	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	—	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
		पहाड़ी (कामां) (बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	—	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	—	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
5	जैसलमेर	भणियाना(बालक)	प्रधानाचार्य	—	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	—	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित/विज्ञान	1
			वरिष्ठ सहायक	—	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	—	1
		कुछड़ी, सम(बालक)	प्रधानाचार्य	—	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	अंग्रेजी	1

			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	सा. विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित/विज्ञान	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
		नाचना(बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
6	सीकर	सीकर शहर (बालिका)	प्रधानाचार्य	–	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
		फतेहपुर(बालक)	प्रधानाचार्य	–	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
		सीकर शहर (बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
7	चूरू	चूरू शहर (बालक)	प्रधानाचार्य	–	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1

			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–।।	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
8	नागौर	नागौर शहर (बालक)	प्रधानाचार्य	–	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–।।	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
9	श्रीगंगानगर	घड़साना (बालक)	प्रधानाचार्य	–	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–।।	–	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
10	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर, शहर (बालक)	प्रधानाचार्य	–	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	अंग्रेजी	1
			वरिष्ठ अध्यापक	सा. विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–।।	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
11	उदयपुर	उदयपुर, शहर (बालिका)	प्रधानाचार्य	–	1
			वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
			वरिष्ठ अध्यापक	अंग्रेजी	1
			वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
			वरिष्ठ अध्यापक	उर्दू	1
			शारीरिक शिक्षक ग्रेड–।।	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित/विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
12	जोधपुर	जोधपुर, शहर (बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1

			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
		जेतडासर (बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
13	झुंझुनू	झुंझुनू शहर (बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
14	कोटा	कोटा शहर (बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
15	बीकानेर	बीकानेर शहर (बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1

			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
16	टोंक	टोंक शहर (बालक)	प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक)	–	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
17	जयपुर	जयपुर शहर (यह कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। अतः अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाले शिक्षक ही आवेदन करें)	प्रधानाध्यापक (अंग्रेजी माध्यम) (अंग्रेजी व्याख्यता स्कूल शिक्षा)	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	हिन्दी	1
			अध्यापक लेवल–2	अंग्रेजी	1
			अध्यापक लेवल–2	गणित	1
			अध्यापक लेवल–2	विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	सा. विज्ञान	1
			अध्यापक लेवल–2	उर्दू	1
			अध्यापक लेवल–1	–	3
			वरिष्ठ सहायक	–	1
			छात्रावास अधीक्षक सह शिक्षक	–	1
कुल योग					278

संबंधित जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की E-mail ID

1. ajmr.mino@gmail.com
2. alwr.mino@gmail.com
3. brmr.mino@gmail.com
4. bhrtpr.mino@gmail.com
5. dmwo.churu@gmail.com
6. bknr.mino@gmail.com
7. jhun.mino@gmail.com
8. jaslmr.mino@gmail.com
9. kota.mino@gmail.com
10. sikr.mino@gmail.com
11. minosmdpr7@gmail.com
12. jdpr.mino@gmail.com
13. jpr.mino@gmail.com
14. sgnr.mino@gamil.com
15. dmwonagaur@gmail.com
16. mino.tonk@gmail.com
17. udpr.mino@gmail.com